न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 28/17

1. श्योराज पुत्र गोपाल
2. नरेश पुत्र रामस्वरूप
3. बाबू पुत्र गोपाल
4. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप
5. श्रीमती सूरज देवी पत्नि गोपाल
6. श्रीमती सुमनदेवी पत्नि श्योराज
7. लाली देवी पत्नि नरेश सभी जातियान कोठयारी निवासीयान बासडा बनेसिह तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. विजय सिह पुत्र गोपाल सिह
2. रामकिशोर गोपाल सिह जातियान कोठयारी निवासीयान शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी बासडा बनें सिह तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली
मु0न0 82/12 निर्णय दिनांक 9.2.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री भंवर सिह जादौन
2. रेस्पोडेटान की और से आबिद अली

निर्णय

दिनांक 6.12.19

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0नं0 82/12 निर्णय दिनांक 9.2.17 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी ग्राम बांसडा बने सिह तहसील बौली के खाता संख्या 138 के ख0न0 38/41 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा , ख0न0 39/4 रकबा 15 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 विस्वा जिंसके सेटलमेंट के नये नम्बर खाता संख्या 161 के ख0न0 70 रकबा 43 ऐयर , ख0न0 71 रकबा 0.19 ऐयर भूमि स्थित है। जिसका एक मात्र स्वामी व मालिक प्रार्थी संख्या 1 है। प्रार्थी संख्या 1 के आपसी सहमति से अपने बडे भाई प्रार्थी संख्या 2 रामकिशोर दोनो उक्त भूमि मे काश्त करते व फसल से लाभान्वित व लगान सरकारी जमा कराते आये है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की भूमि की सिचाई पुख्ता चाह (कुआ) ख0न0 41 रकबा 2 विस्वा जिसके नये सेटलमेंट ख0न0 73 रकबा 3 ऐयर से करते आ रहे है। उक्त पुख्ता चाह प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे हिस्सा 1/2 दर्ज है उक्त कुऐ का हिस्सा 1/2 का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। उक्त भूमि व कुऐ का 1/2 हिस्से से अप्रार्थीगण 1 ता 7 का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के मन मे बदनियती आ जाने के कारण प्रार्थी की भूमि व

Scanned by CamScanner

कुऐ को लठठ के जोर पर हडपने व छीनने पर आमादा है। जबकि उक्त भूमि व कुऐ के हिस्सा 1/2 भाग पर अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। अतः अप्रार्थीगण 1 ता 7 को ताफैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे कि ख0न0 70 व 71 कुल रकबा 2 बीघा 9 विस्वा भूमि को काश्त कर उपयोग उपभोग मे लेने मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा बेदखल नही करे तथा प्रार्थी संख्या 2 को पुख्ता चाह ख0न0 73 मे स्थित चाह हिस्सा 1/2 का पानी लेने (सिचाई) मे बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होक अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने पर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पो0 का ख0न0 70,71,73 पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। तथा ना ही वर्तमान मे कब्जा काश्त है। उपरोक्त आराजी पर उसके पूर्व खातेदार भूरा पुत्र मान का कब्जा काश्त था। तथा उसकी मृत्यु के बाद से उक्त आराजी पर अपींलाट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही होने से प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष मे साबित नही है। रेस्पो0 का उपरोक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही होने से अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्व उदघोषणा व बेदखली का वाद पत्र पेश नही किया है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांटान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे दस्तावेजात पंचनामा दिनांसक 19.8.89 व राजीनामा दिनांक 19.10.89, राजीनामा दिनांक 28.11.2000 का भी अपने निर्णय मे उल्लेख नही कर अहम कानूनी भूल की है। जबकि राजीनामा अनुसार ख0न0 70 व 71 की रजिस्ट्री अपीलांट के नाम करवा देने तथा ख0न0 73 कुआ का 1/4 हिस्सा रहेगा। का कथन किया गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गोर नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी आराजी ग्राम बांसडा बने सिह तहसील बौली के खाता संख्या 138 के ख0न0 38/41 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा , ख0न0 39/4 रकबा 15 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 विस्वा जिसके सेटलमेंट के नये नम्बर खाता संख्या 161 के ख0न0 70 रकबा 43 ऐयर , ख0न0 71 रकबा 0.19 ऐयर भूमि स्थित है। जिसका एक मात्र स्वामी व मालिक

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 संख्या 1 है। रेस्पो0 संख्या 1 ने आपसी सहमति से अपने बडे भाई रेस्पो0 संख्या 2 रामकिशोर दोनो उक्त भूमि मे काश्त करते व फसल से लाभान्वित व लगान सरकारी जमा कराते आये है। रेस्पो0 अपने कब्जे काश्त की भूमि की सिचाई पुख्ता चाह (कुआ) ख0न0 41 रकबा 2 विस्वा जिसके नये सेटलमेंट ख0न0 73 रकबा 3 ऐयर से करते आ रहे है। उक्त पुख्ता चाह रेस्पो0 संख्या 2 की खातेदारी मे हिस्सा 1/2 दर्ज है उक्त कुऐ का हिस्सा 1/2 का उपयोग व उपभोग रेस्पो0 करते चले आ रहे है। उक्त भूमि व कुऐ का 1/2 हिस्से से अपीलांटान 1 ता 7 का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। जमाबंदी सम्वत 2067–70 अनुसार के अनुसार ख0न0 70 रकबा 0.43 है0 , ख0न0 71 रकबा 0.19 है0 का खातेदार रेस्पो0 विजय सिह पुत्र गोपाल कोठयारी सा0देह शिवाड दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ख0न0 73 रकबा 0.03 है0 मे रेस्पो0 संख्या 2 रामकिशोर पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार इन सभी तथ्यो को मद्देनजर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि तहसील बौली के खाता संख्या 138 के ख0न0 38/4 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा , ख0न0 39/4 रकबा 15 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 9 विस्वा जिसके सेटलमेंट के नये नम्बर खाता संख्या 161 के ख0न0 70 रकबा 43 ऐयर , ख0न0 71 रकबा 0.19 ऐयर कायम किये है। जमाबंदी सम्वत 2067–70 अनुसार के अनुसार ख0न0 70 रकबा 0.43 है0 , ख0न0 71 रकबा 0.19 है0 का खातेदार रेस्पो0 विजय सिह पुत्र गोपाल कोठयारी सा0देह शिवाड दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ख0न0 73 रकबा 0.03 है0 मे रेस्पो0 संख्या 2 रामकिशोर पुत्र गोपाल दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र राजीनामा को आधार बनाकर की तर्क दिये गये है। जबकि राजीनामा के आधार पर किसी प्रकार के हक हकूक प्राप्त नही किये जा सकते है। इस प्रकार इन सभी तथ्यो को मद्देनजर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0न0 82/12 निर्णय दिनांक 9.2.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

6.12.19

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 16:27:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: